राजस्थान सरकार वन विभाग

ओर से ashokyadav

क्षेत्रीय वन अधिकारी

DCF UDAIPUR (NORTH)

निमित न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

क्रमांक / ENDIV034RNG19920

विषय : — राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत वन विभाग भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री arti निवासी 34refr ने वन भुमि ग्राम के खसरा नम्बर 43 आरक्षित / रक्षित वनखण्ड DCF UDAIPUR (NORTH) की 100.00 बीघा पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 56/90 दिनांक 23/10/2017 के द्वारा Reserve Forest घोषित हो चुकी है। क्षेत्र का मानचित्र एवं वन भुमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण संलग्न है।

अतः श्री arti को राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : -

- 1. MAP Document File
- 2. Jamabandi Document File

भवदीय ashokyadav क्षेत्रीय वन अधिकारी DCF UDAIPUR (NORTH)